नगर पंचायत राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2011 से 31.03.2014

1. (क) प्रारम्भिक :–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) मे संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)–खण्ड–iv, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अवधि 01.04.2011 से 31.03.2014 तक का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि 04/2011 से 03/2014 के दौरान नगर पंचायत राजगढ़, जिला सिरमौर के प्रधान तथा सचिव निम्नानुसार थे :–

प्रधान :

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री दिनेश आर्य	01.04.2011 से 31.03.2014

सचिव :

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री अजमेर सिंह ठाकुर	01.04.2011 से 09.08.2011
2.	श्री योगीन्द्र सेन (नायब तहसीलदार)	10.08.2011 से 01.04.2012
3.	श्री अजमेर सिंह ठाकुर	02.04.2012 से 20.06.2012
4.	श्री पुरूषोतम सिंह	21.06.2012 से 17.03.2013
5.	श्री बी0आर0 नेगी	18.03.2013 से 20.05.2013
6.	श्री पुरूषोतम सिंह	21.05.2013 से 03.07.2013
7.	श्री बी0आर0 नेगी	02.08.2013 से 31.03.2015

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

नगर पंचायत राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 04/11 से 03/14 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि लाखों में
1.	कैश बुक के अन्तिम शेष और बैंक मे जमा राशि में भारी अन्तर	4(घ)	3.11
2.	नगर पंचायत की आय को बैंक खाते में जमा न करना	6	0.10
3.	वेतन व भत्तों का अनियमित भुगतान	7	2.86
4.	वेतन व भत्तों का अनियमित भुगतान	8	0.30
5.	पैंशन व ग्रेच्युटी अंशदान मे अनियमित भुगतान	12	0.55
6.	अंशदायी पैंशन योजना (CPS) अंशदान का अनियमित भुगतान	13	0.40
7.	गलत गणना के फलस्वरूप ठेकेदारों को अधिक भुगतान	14	0.12
8.	नगर पंचायत राजगढ़ के स्वागत द्वार बनाने के लिए प्राप्त अनुदान राशि को व्यय न करना	16	3.84
9.	दुकानों के किराये की बकाया राशि को वसूल न करना	21	2.44

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–"क"** पर दर्शाई गई है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई विशेष कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यान में लम्बित पैरों के निपटारे के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु लाया जाता है।

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

नगर पंचायत राजगढ़ के अवधि 04/2011 से 03/2014 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, श्री ज्ञान चन्द शर्मा, सहायक नियन्त्रक और श्री राम सिंह चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 23.02.2015 से 21.03.2015 के दौरान किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जाँच हेतु क्रमशः माह 09/11, 04/12 व 06/13 तथा माह 04/11, 10/12 व 05/13 के लेखाओं का चयन किया

गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है। आगामी पैराग्राफों में दर्शाए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया।

यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण संस्था के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं के आधार पर किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा कोई गलत सूचना/सूचना उपलब्ध न करवाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

नगर पंचायत राजगढ़ के अवधि 04/11 से 03/14 के लेखाओं का अंकेक्षण करने का शुल्क ₹38,000/– बनता है। सहायक नियन्त्रक के पत्र संख्याः 18, दिनांक 21.03.2015 द्वारा सचिव नगर पंचायत राजगढ़ से उक्त शुल्क की राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–09 को शीघ्र प्रेषित करने का अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति :–

(क) नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षणाधीन अवधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(i) Detail of Grant-in-Aid received and utilized during 04/2011 to 03/14

Year	Opening Balance	Grant-in-Aid Received During the year	Total	Grant-in-Aid Utilized During the year	Closing Balance
2011-12	29,78,856	41,94,599	71,73,455	29,66,417	42,07,038
2012-13	42,07,038	71,19,626	1,13,26,664	43,49,555	69,77,109
2013-14	69,77,109	50,72,465	1,20,49,574	66,27,181	54,22,393

(ii) Detail of income received from own sources during 04/2011 to 03/14

Year	Opening Balance	Income received from own sources	Total	Expenditure	Closing Balance
2011-12	7,59,680	6,26,974	13,86,654	1,71,902	12,14,752
2012-13	12,14,752	10,58,425	22,73,177	8,27,377	14,45,800
2013-14	14,45,800	7,99,216	22,45,016	14,28,556	8,16,460

नोट–1 : नगर पंचायत राजगढ़ द्वारा विभिन्न स्कीमों तथा अपने साधनों से सम्बन्धित आय तथा व्यय इत्यादि का अभिलेख रखने के लिए कोई अनुदान रजिस्टर तथा पृथक–पृथक रोकड़ बही तैयार नही की गई है जिसके परिणामस्वरूप नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि की कुल आय तथा कुल व्यय के आंकड़ों में से विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों आय तथा व्यय को क्रमशः नगर पंचायत की कुल आय तथा व्यय में से घटा कर शेष राशियों को उक्त विवरणानुसार अपने साधनों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति को दर्शाया गया है। इस प्रकार अपने साधनों की आय तथा व्यय से सम्बन्धित अभिलेख न रखने के परिणामस्वरूप उक्त प्रक्रिया द्वारा अपने साधनों की वित्तीय स्थिति में आंकड़ों को दर्शाने के कारण यहां एक ओर आंकड़ों के सही होने की पुष्टि नही की जा सकी वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत की रोकड़ बही तथा बैंक शेषों का भी ठीक ढंग से मिलान नहीं किया जा सका। नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर तथा उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर अंकेक्षण द्वारा नगर पंचायत के कर्मचारियों के सहयोग से बैंक समाधान विवरणी तैयार करने का प्रयास किया गया जिसका विवरण निमन प्रकार से दिया गया है परन्तु उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि वित्तीय स्थिति तथा बैंक समाधान विवरणी में वर्णित आंकड़ों का वास्तविक अभिलेख के साथ मिलान नगर पंचायत द्वारा अपने स्तर पर किया जाए तथा इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) Bank Reconciliation Statement as on 31-03-14

Balance as per Cash Book			**62,38,854.28**
Add	(1) Difference between cash book and H.P. State Co-op saving bank A/c no. 2122 as on 01-04-08 detail of which was not given	33,989.50	
	(2) Less taken in Cash book totaling error (882505-882495)in 04/2008	10.00	
	(3) Cheque No. 5456356, dt. 12-03-09 Cancelled but not credited in Cash book	6,754.00	
	(4) Cheque No. 1855481, dt. 01-12-09 issued for ₹31450 but debited by bank ₹31400 only	50.00	
	(5) Total of expenditure excess taken in 02/2009 (₹412631 - ₹412611)	20.00	
	(6) Total of income less taken in 02/2009 (₹362316 - ₹362256)	60.00	

	(7) Uncashed cheques (detail at परिशिष्ट–''ख'')	89,443.00	
	(8) Interest credited in UCO Bank A/C No. 9674 by not taken in Cash Book	1,568.00	**(+) 1,31,894.50**
		Total	**63,70,748.78**
Less	(1) (a) Cash in Hand as on 31-03-2010 which was not deposited in Bank	12,681.00	
	(b) Cash in hand on 23-03-11 598 Deposited on 24-03-11 596	2.00	
	(2) Amt. of Security of ₹45934 which was shown as deposited in Cash Book on 02-05-08 but again shown as deposited in Cash Book on 02-07-08	45,934.00	
	(3) Following cheque not entered in Cash Book		

Ch. No.	Dt.	Amt.	
5456364	19-05-09	1861	
5456365	28-05-09	1618	
5825376	08-07-09	42976	
5825378	08-07-09	1003	47458.00

(4) Against Cheque No. 4659498, dt. 01-12-08 expenditure shown less in cash book (₹83541 - ₹43541)		
(5) Amt. of NSDP/EIVS transferred to UCO Bank A/C No. 9674 on 29-08-2008	1,80,000.00	
(6) Cheque No. 5456363, dt. 27-03-09 not entered in Cash Book	69,353.00	
(7) Cheque No. 6120181, dt. 26-12-08 entered in cash book for ₹527, where as debited by bank for ₹614 (₹614 - ₹527)	87.00	
(8) SFC grant entered in cash book on 10-02-10 for ₹438877, which as credited by bank for ₹438872 i.e. (438877 - 438872)	5.00	

(9) Cheque deposited vide following receipt No. but amount of these cheques not credited by bank (Cheque No. not written in cash book)

Receipt No.	Dt.	Amt.		
26/1294	17-05-10	5,000		
27/1308	13-06-10	4,500		
27/1327	17-06-10	5,000		
27/1329	17-06-10	1,500		
28/1390	23-08-10	5,136		
28/1382	23-08-10	9,000		
31/1515	29-09-10	1,500		
31/1550	21-10-10	2,000		
31/1552	21-10-10	1,450		
331622	14-12-10	6,500		
33/1623				
33/16039 1604	03-12-10	6,500	48,086.00	**(-) 4,43,606.00**

Balance as per Bank as per detail given below		**59,27,142.78**
Balance of Bank A/c as on 31-03-2014		
Bank Balance in H.P. State Co-opt. Bank A/c No. 2122 as on 31-03-11	20,03,814.50	
Bank balance in UCO Bank A/c No. 9674	38,41,612.83	
Bank Balance in H.P. State Co-opt Bank A/c No. 5101	81,715.45	**59,27,142.78**

(ग) रोकड़ बही का नियमानुसार रख–रखाव न करना :–

रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 04/2011 से 03/2014 की रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार नहीं किया गया है और न ही रोकड़ बही के योग किए गए हैं

जोकि उचित नहीं है। इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 1, दिनांक 23.02.2015 नगर पंचायत को अवगत भी करवाया है परन्तु अंकेक्षण समाप्त होने तक नगर पंचायत से इस बारे में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। अतः उपरोक्त अवधि की रोकड़ बही को हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 19(2) के अनुसार रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) दिनांक 31.03.2014 को कैश बुक के अन्तिम शेष तथा बैंक में जमा राशि में ₹3,11,711.50 का भारी अन्तर :–

नगर पंचायत राजगढ़ द्वारा प्रस्तुत वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2014 को रोकड़ बही का अन्तिम शेष ₹62,38,854.28 था जबकि बैंक में ₹59,27,142.78 जमा थे। इस प्रकार रोकड़ बही के अन्तिम शेषों मे तथा बैंकों में जमा राशि में ₹3,11,711.50 का अन्तर पाया गया जिसका अतिशीघ्र समाधान किया जाए।

(ड़) सिक्योरिटी की कैश बुक को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न किया जाना :–

नगर पंचायत द्वारा सिक्योरटी रशि की हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में बचत खाता संख्याः 4620 में निम्न विवरणानुसार जमा करवाया गया था।

वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2011–12	**57013**	**2284**	**59297**	**...**	**59297**
2012–13	**59297**	**2395**	**61692**	**..**	**61692**
2013–14	**61692**	**2492**	**64184**	**...**	**64184**

इस प्रकरण को अंकेक्षण प्रतिवेदन 04/2008 से 03/2011 के पैरा संख्याः 35 में भी उजागर किया गया था जिस बारे नगर पंचायत द्वारा कोई कार्रवाई अम्ल में नहीं लाई गई है। यद्यिपि अंकेक्षण द्वारा उक्त पैरा संख्याः 35 को समायोजित करके वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित कर दिया गया है तदापि उक्त सिक्योरिटी की कैश बुक अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कैश बुक आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

5. अनुदान :–

(1) नगर पंचायत द्वारा सरकार से अनुदानों के रूप में प्राप्त की गई आय तथा उसमें से किए गए व्यय का कोई भी रजिस्टर नहीं लगाया गया था, जिस कारण इन अनुदानों से प्राप्त राशि के विस्तृत विवरण के अतिरिक्त प्राप्त राशि का किस–किस कार्य पर कितना व्यय किया गया की जाँच

अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अनुदान व कार्य रजिस्टर रख–रखाव न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः यह प्रकरण निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के विशेष ध्यान में उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि अनुदान रजिस्टर व कार्य रजिस्टर का शीघ्र रख–रखाव किया जाए तथा इसे सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अनुदान के रूप में प्राप्त आय व व्यय का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–''ग–1'' से परिशिष्ट–''ग–8''** पर संलगन हैं। अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान अनुदानों के **परिशिष्ट–''ग–3''** पर क्रम संख्याः 7, 8 और 9 के विरूद्ध कोई भी व्यय नहीं किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। अतः परामर्श दिया जाता है कि इन अनुदानों को स्वीकृति पत्रों की शर्तों के अनुसार उपयोग किया जाए। अनुदानों की अन्य शेष राशियों का भी नियमानुसार उपयोग किया जाए अन्यथा इन अनुदान राशियों को सम्बन्धित विभागों को वापिस लौटाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(2) वर्ष 2011–12 की अनुदानों की विवरणी **परिशिष्ट–''ग–1''** व **परिशिष्ट–''ग–6''** के अनुसार वर्ष 2011–12 में ₹41,54,894/– (₹40,54,894 + ₹1,00,000) की प्राप्ति का ब्यौरा दिया गया जबकि वर्ष 2011–12 की वित्तीय स्थिति के अनुसार ₹41,94,599 की प्राप्ति दिखाई गई है। इस प्रकार अनुदान की प्राप्त राशि मे ₹39,705 का अन्तर पाया गया। जिसकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए। इसी प्रकार वर्ष 2011–12 को अनुदानों की विवरणी **परिशिष्ट''ग–1'' व परिशिष्ट–''ग–6''** के अनुसार वर्ष 2011–12 में ₹30,66,417 (₹29,66,417 + ₹1,00,000) का खर्चा दिखाया गया है जबकि वित्तीय स्थिति के अनुसार ₹29,66,417/– का खर्चा दिखाया गया है। इस प्रकार इसमें ₹1,00,000/– की भिन्नता है जिसकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए।

6. ₹10,179/– की आय को बैंक में जमा न करने बारे :–

नगर पंचायत राजगढ़ के खाता संख्याः 2122 (हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, शाखा राजगढ़) की जाँच करने पर पाया गया कि माह 04/12 से 08/13 तक ₹10,179/– की आय जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–''घ''** पर संलग्न है को बैंक में जमा नहीं करवाया गया है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 7, दिनांक 04.03.2015 द्वारा सचिव, नगर पंचायत राजगढ़ से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक नगर पंचायत से इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। अतः ₹10,179/– की राशि

को सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल कर तुरन्त नगर पंचायत के खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7. श्रीमति मीरा तोमर, सामुदायिक कार्यकर्त्ता को 01.10.2012 से उच्च पे बैंण्ड 10300–34800 जमा ग्रेड पे 3200 को स्वीकृत करने के फलस्वरूप ₹2,86,907/– का अनियमित भुगतान ।

श्रीमति मीरा तोमर, सामुदायिक कार्यकर्त्ता की सेवा पुस्तिका के अवलोकन करने पर पाया गया कि उन्हें 01.10.2012 से वित्त विभाग की अधिसूचना संख्याः फिन(पी0आर)–बी(7)–64/2010, दिनांक 27.09.2012 द्वारा ₹10300–34800 पे बैंण्ड जमा 3200 ग्रेड पे का उच्च वेतनमान स्वीकृत किया गया है, परन्तु उक्त अधिसूचना में सामुदायिक कार्यकर्त्ता के पद को शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार उन्हें ₹2,86,000/– का अनियमित भुगतान किया गया है जिसका विवरण **परिशिष्ट–"ड़"** पर संलग्न है। इस सम्बन्ध में नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 6, दिनांक 04.03.2015 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु नगर पंचायत ने इस बारे में अंकेक्षण समाप्त होने तक कोई भी सूचना अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की थी। अतः अधिक भुगतान की गई ₹2,86,907/– की वसूली करके नगर पंचायत के खाते में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8. श्री तारा चन्द, चौकीदार का संशोधित वेतनमान में गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप ₹30,605/– का अनियमित भुगतान :–

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्याः फिन(पी0आर)–(बी)(7)–1/2009, दिनांक 26.08.2009 के नियम 7के नीचे दिए गए नोट 1 के अनुसार जिन कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01.01.2006 थी उन्हें यह विकल्प दिया गया है कि वह 01.01.2006 की देय वार्षिक वेतन वृद्धि को वर्तमान वेतनमान में या संशोधित पे बैण्ड में आहरित कर सकेगा।

अंकेक्षण के दौरान श्री तारा चन्द, चौकीदार की सेवा पुस्तिका की जाँच के दौरान पाया गया कि उन्हें 01.01.2006 को वर्तमान वेतनमान में वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करके उनका वेतन ₹3,120/– के स्तर पर निर्धारित करने के उपरान्त उनका वेतन संशोधित वेतनमान में 01.01.2006 को 5830 पे बैण्ड जमा 1300 ग्रेड पे निर्धारित करने के साथ उन्हें 01.01.2006 को पुनः संशोधित वेतनमान में वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करके उनका वेतन 6030 पे बैण्ड जमा 1300 ग्रेड पे कुल ₹7330 के स्तर पर निर्धारित करने के फलस्वरूप उन्हें ₹30,605/– का अनियमित भुगतान किया गया है जिसका विवरण **परिशिष्ट–"च"** पर संलग्न है। इस सम्बन्ध में नगर पंचायत को अंकेक्षण

अधियाचना संख्यः 11, दिनांक 10.03.2015 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु नगर पंचायत ने इस बारे में अंकेक्षण समाप्त होने तक अंकेक्षण को कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही किया है। अतः अधिक भुगतान की गई राशि ₹30,605/– की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके नगर पंचायत के खाते में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

9. श्री तारा चन्द, चौकीदार को 3/2012 से 02/2015 तक मकान किराये भत्ते के रूप में ₹1800/– का अनियमित भुगतान :–

नगर पंचायत में कार्यरत स्टाफ के वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि श्री तारा चन्द, चौकीदार को 03/2012 से 02/2015 तक मकान किराये भत्ते के रूप में ₹350/– प्रतिमाह की दर से भुगतान किया गया जबकि उन्हें ₹300/– प्रतिमाह की दर से मकान किराया भत्ता देय था। इस सम्बन्ध में नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 16(2), दिनांक 19.03.2015 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु नगर पंचायत ने इस बारे में अंकेक्षण समाप्त होने तक कोई भी प्रतिउत्तर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया हैं। अतः अधिक भुगतान की गई ₹1800 (36 x 50) की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके नगर पंचायत के खाते में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

10. श्री बलिन्द्र सिंह कश्यप, लिपिक को सात वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रथम प्रवीणता वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के फलस्वरूप ₹4,956/– का अनियमित भुगतान :–

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्याः फिन(पी0आर)–बी(7)–1/98, दिनांक 15.12.1998 द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को जिन्होंने एक ही संवर्ग में लगातार आठ वर्ष की सेवा पूर्ण की हो और जिनकी पदोन्नति अगले उच्च वेतनमान में रिक्ती न होने या पदोन्नति हेतु संवर्ग उपलब्ध न होने के कारण उन्हें अगला उच्च वेतनमान स्वीकृत किया जा सकता है।

श्री बलिन्द्र सिंह कश्यप, लिपिक की सेवा पुस्तिका की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि श्री बलिन्द्र सिंह कश्यप ने 18.09.2001 को लिपिक के पद पर कार्यग्रहण किया था। इस प्रकार 18.09.2009 को आठ वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप उन्हें वित्त विभाग की उक्त अधिसूचना के अनुसार 5910–20200 का पे बैंण्ड जमा 1950 ग्रेड पे स्वीकृत की जा सकती थी। परन्तु श्री बलिन्द्र सिंह कश्यप, लिपिक को 18.09.2008 से सात वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उच्च वेतनमान स्वीकृत करके ₹4956/– का अनियमित भुगतान किया गया है विवरण **परिशिष्ट–"छ"** पर संलग्न है। इस सम्बन्ध में नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः9 दिनांक 10.03.2015 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु नगर पंचायत ने इस बारे में अंकेक्षण समाप्त होने तक कोई भी

प्रतिउत्तर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया। अतः अधिक भुगतान की गई ₹4,956/– की वसूली करके नगर पंचायत के खाते में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

11. श्रीमती विद्या देवी, लिपिक का संशोधित वेतनमान में गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप ₹4,100/– का अनियमित भुगतान करने बारे :–

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्याः फिन(पी0आर)–बी(7)–1/2009, दिनांक 26.08.2009 द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को 01.01.2006 से संशोधित वेतनमान अधिसूचित किए थे उक्त नियमों को हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुनः श्रेणीवार/पदवार अधिसूचना संख्याः फिन(पी0आर)–बी(7)–64/2010, दिनांक 27.09.2012 द्वारा अधिसूचित किया है जिसके द्वारा क्रम संख्याः 15 पर वर्णित लिपिक के पद का आरम्भिक वेतनमान ₹7810 (5910 पे बैण्ड जमा 1900 ग्रेड पे) स्वीकृत किया गया था।

श्रीमती विद्या देवी, लिपिक की सेवा पुस्तिका की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उन्होंने 09.12.2009 को लिपिक के पद पर कार्यग्रहण किया था। उन्हें 09.12.2009 को 5910–20200 का पे बैण्ड जमा 1900 ग्रेड पे स्वीकृत की जानी थी परन्तु श्रीमती विद्या देवी, लिपिक को 09.12.2009 को 5910–20200 का पे बैण्ड जमा 1950 ग्रेड पे स्वीकृत करके ₹4100/– का अनियमित भुगतान किया गया है। इस सम्बन्ध में नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 10, दिनांक 10.03.2015 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया थां नगर पंचायत ने इस बारे अंकेक्षण को सूचित किया है कि ₹4100/– की वसूली रसीद संख्याः 93/113, दिनांक 21.03.2015 द्वारा कर ली है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली है।

12. पैन्शन व ग्रेच्युटी अंशदान में ₹55,602/– का अनियमित भुगतान :–

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका कर्मचारी (पैन्शन, ग्रेच्यूटी और सामान्य भविष्य निधि) नियम, 2000 के नियम 1(iii)(b) जिसे अधिसूचना संख्याः एल0एस0जी0–बी0(1)–1/79–III, दिनांक 25.04.2000 द्वारा अधिसूचित किया गया है के अनुसार पैन्शन व ग्रेच्यूटी अंशदान उन्हीं कर्मचारियों को देय होगा जोकि स्थायी पैन्शन स्कीम के अधीन कार्यरत हैं परन्तु निम्नलिखित मामलों में नगर पंचायत राजगढ़ द्वारा उन कर्मचारियों के पक्ष में पैन्शन व ग्रेच्यूटी का भुगतान भी कर दिया जो अंशदान, अंशदायी पैन्शन योजना (CPS) के अन्तर्गत थे जिसके परिणामस्वरूप निम्न विवरणानुसार ₹55,602/– का अनियमित भुगतान किया गया है। इस सम्बन्ध में नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 12, दिनांक 16.03.2015 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु नगर

पंचायत ने इस बारे में अंकेक्षण समाप्त होने तक अंकेक्षण को कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अधिक भुगतान की गई ₹55,602/– की राशि को सम्बन्धित खाते से निकाल कर नगर पंचायत राजगढ़ के खाते में जमा करवा कर अनुपालना अंकेक्षण को प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम व पद	नियुक्ति की तिथि	अवधि	प्रतिमाह ग्रेच्यूटी अंशदान	कुल भुगतान
1	श्रीमती मीरा तोमर, समुदायिक कार्यकर्त्ता	15.12.2009	02/10 से 05/12	1212 x 28	33,936.00
2	श्री प्रदीप कुमार, सेवादार	23.07.2007	–यथोपरि–	641 x 28	17,948.00
3	श्री घनश्याम, कनिष्ठ अभियन्ता	09.12.2009	05/12	2339 x 1	2,339.00
4	श्रीमती विद्या देवी, लिपिक	09.12.2009	05/12	1379 x 1	1,379.00
				योग	**₹55,602.00**

13 ₹40,928/– का अंशदायी पैन्शन योजना (CPS) अंशदान का अनियमित भुगतान

नगर पंचायत राजगढ़ के वेतन रजिस्टर/वेतन बिलों के जाँच करने पर पाया गया कि अंशदायी पैन्शन योजना के अन्तर्गत श्रीमती मीरा तोमर, सामुदायिक कार्यकर्त्ता तथा श्री प्रदीप कुमार, सेवादार का अंशदायी पैन्शन योजना अंशदान ₹40,928/– का अधिक भुगतान किया गया जिसका ब्यौरा **परिशिष्ट–''ज''** पर संलग्न है। इस सम्बन्ध में नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 13, दिनांक 16.03.2015 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु नगर पंचायत ने इस बारे में अंकेक्षण समाप्त होने तक अंकेक्षण को कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही किया। अतः उक्त राशि को सम्बन्धित खाते से निकाल कर नगर पंचायत राजगढ़ के खाते में जमा किया जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

14. गलत गणना के फलस्वरूप विभिनन निर्माण कार्यों में ₹12,643/– का अधिक भुगतानः–

नगर पंचायत के विभिन्न निम्रण कार्य बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों के माप (Measurement) को वास्तविक माप से अधिक लिया गया है जिस

कारण विभिन्न ठेकेदारों को ₹12,643/– का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–"झ"** पर संलग्न किया गया है। इस बारे में नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 14, दिनांक 19.03.2015 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु नगर पंचायत ने इस बारे में अंकेक्षण समाप्त होने तक कोई भी सूचना अंकेक्षण को प्रस्तुत नही की है। अतः अधिक भुगतान की गई ₹12,643/– की वसूली करके नगर पंचायत के खाते में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 श्री अनिल शर्मा, ठेकेदार को निर्माण कार्य में ₹900/– का अधिक भुगतान

श्री अनिल शर्मा, ठेकेदार को वाऊचर संख्याः 2 माह 04/2011 द्वारा प्रथम एवं अन्तिम बिल की राशि ₹56,129/– का भुगतान किया गया है जबकि इन्हें ₹55,229/– का भुगतान निम्न प्रकार से देय था। इस प्रकार उक्त ठेकेदार को ₹900/– का अधिक भुगतान किया गया है। इस सम्बन्ध में नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 15, दिनांक 19.03.2015 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु नगर पंचायत ने इस बारे में अंकेक्षण समाप्त होने तक अंकेक्षण को कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई ₹900/– की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से करके नगर पंचायत के खाते में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करना सुनिश्चित किया जाए :–

बिल की राशि	= ₹63,159.00
कटौतियाँ	
(–) प्रतिभूति 5215.00	
सेल टैक्स 1263.00	
आयकर 1452.00	₹7,930.00
भुगतान योग्य देय राशि	**=₹55,229.00**

16 नगर पंचायत राजगढ के स्वागत द्वार बनाने के लिए प्राप्त हुए ₹3.84 लाख का व्यय न करने बारेः–

उपमण्डलाधिकारी (ना0) राजगढ़, जिला सिरमौर के पत्र संख्याः 4–रा/लेखाशाखा, दिनांक 10.09.2012 द्वारा ₹3,84,000/– की राशि चैक संख्याः 05130100009301, दिनांक 10.09.2012 द्वारा नगर पंचायत, राजगढ़ के स्वागत द्वार के निर्माण हेतु जारी की गई थी। नगर पंचायत ने उक्त राशि का उपयोग स्वागत द्वार बनाने के लिए अभी तक नहीं किया है और उक्त राशि बैंक में

अनउपयुक्त पड़ी है। इस बारे में नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 17, दिनांक 20.03.2015 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु नगर पंचायत ने इस बारे में अंकेक्षण समाप्त होने तक कोई भी सूचना अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उपरोक्त राशि का खर्च न करने के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. रसीद सं0 28/52 से प्राप्त राशि को केश बुक में दर्ज न करने बारे :–

नगर पंचायत राजगढ़ की आय की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि रसीद संख्याः 28/52 अभिलेख में मौजूद नहीं थी और न ही इससे प्राप्त राशि को कैश बुक में दर्ज किया गया जोकि एक गम्भीर आपत्ति है इस बारे में नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 16(1), दिनांक 19.03.2015 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। नगर पंचायत ने इस बारे में लेखा परीक्षा समाप्त होने तक कोई भी सूचना प्रस्तुत नही की गई। अतः उक्त रसीद से प्राप्त राशि को नगर पंचायत के खाते में जमा करवाया जाए तथा इस रसीद से प्राप्त राशि को जमा न करवाने की जाँच की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18. ₹3,000/– की राशि को बैंक से निकालने बारे :–

नगर पंचायत राजगढ़ के खाता संख्याः 2122 (हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, शाखा राजगढ़) की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 12.07.2012 को चैक संख्याः 5467579 द्वारा ₹3,000/– की राशि निकाली गई है जबकि उक्त चैक नगर पंचायत राजगढ़ से सम्बन्धित नहीं था। इस बारे में नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 5, दिनांक 03.03.2015 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। नगर पंचायत ने इस बारे में पत्र संख्याः 141, दिनांक 21.03.2015 द्वारा लेखा परीक्षा को सूचित किया है कि ₹3,000/– की राशि को बैंक में पुनः नगर पंचायत के खाते में जमा कर दिया है।

19. गृह कर की वसूली न करना :–

नगर पंचायत की आय का मुख्य साधन गृह कर है जिसकी वसूली हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 65 के अनुसार नगर पंचायत के क्षेत्र मे आने वाले भवन मालिकों से गृह कर के रूप में प्राप्त की जाती है परन्तु अंकेक्षण अवधि में प्राप्त आय की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत राजगढ़ द्वारा भवन मालिकों से गृह कर की वसूली नहीं की जा रही है। इस बारे में नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 16(6), दिनांक 19.03.2015 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु नगर पंचायत ने इस बारे में अंकेक्षण समाप्त होने

तक कोई भी सूचना अंकेक्षण को प्रस्तुत नही की गई। अतः गृह कर की वसूली हेतु अतिशीघ्र कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

20. दुकानों का किराया न बढ़ाने के कारण हो रही वित्तीय हानि बारे :–

नगर पंचायत राजगढ़ की आय का दूसरा मुख्य साधन दुकानों से प्राप्त किराये से है परन्तु दुकानों के किराया मांग एवं वसूली रजिस्टर के अवलोकन करने पर यह पाया गया कि नगर पंचायत ने वर्ष 2006–07 के उपरान्त किराये में नियमानुसार कोई भी वृद्धि नहीं की है जिससे नगर पंचायत को वित्तीय हानि हो रही है। इस बारे में नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 16(5), दिनांक 19.03.2015 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु नगर पंचायत ने इस बारे में अंकेक्षण समाप्त होने तक अंकेक्षण को कोई भी सूचना प्रस्तुत नही की गई। अतः उक्त दुकानों का किराया नियमानुसार निर्धारित अवधि से अर्थात 2011–12 से 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी के साथ वसूल किया जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

21. दुकानों के किराए के रूप में ₹2,44,635/– वसूली हेतु शेष :–

नगर पंचायत की विभिन्न दुकानों से दिनांक 31.03.2014 को ₹2,44,635/– वसूली हेतु शेष है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–"ञ"** पर संलग्न है जिससे प्रतीत होता है कि नगर पंचायत द्वारा शेष राशि की वसूली हेतु कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं जो कि बहुत ही गम्भीर मामला हैं। अतः शेष राशि की वसूली हेतु शीघ्र अतिशीघ्र आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22. दुकान नम्बर 17 को आबंटित न करने के फलस्वरूप नगर पंचायत को ₹8,200/– की वित्तीय हानि :–

नगर पंचायत राजगढ़ की दुकानों के किराए से प्राप्त होने वाली आय की जाँच के दौरान पाया गया कि दुकान नम्बर 17 जो कि श्रीमती शशि को ₹200/– प्रतिमाह मासिक किराये पर दी गई थी को दिनांक 31.10.2011 को आबंटी द्वारा खाली कर दिया गया था। नगर पंचायत द्वारा उक्त दुकान को पुनः आबंटित न करने के कारण अवधि 11/2011 से 03/2014 तक ₹8,200/– (41 x 200) की वित्तीय हानि हुई है। इस बारे नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 16(4), दिनांक 19.03.2015 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया परन्तु अंकेक्षण समाप्त होने तक कोई भी सूचना अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उक्त दुकान को समय पर आबंटित न करने का

औचित्य स्पष्ट करने के साथ–साथ किराये पर देने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दिखाई जाए।

23. मोबाईल टावरों से प्राप्त आय के अभिलेख को तैयार न करना :–

निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्याः UDH(A)(7)1/2006-10396-10444, दिनांक 25.09.2006 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित किए जाने वाले मोबाईल टावरों हेतु सम्बन्धित कम्पनी से ₹10,000/– प्रति मोबाईल टावर स्थापित करने का शुल्क तथा ₹5,000/– प्रति टावर प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना अपेक्षित था परन्तु नगर पंचायत इस मामले में बिलकुल भी गम्भीर नही है क्योंकि नगर पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावरों की संख्याः तथा प्राप्त आय का भी रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में कम्पनी विशेष से प्राप्त हुई आय व बकाया राशि की जाँच नहीं की जा सकी। इस प्रकरण में अंकेक्षण प्रतिवेदन 04/2008 से 03/2011 के पैरा संख्याः 13 में भी वसूली न करने का मामला उजागर किया गया था जिस बारे नगर पंचायत द्वारा कोई कार्रवाई अम्ल में नहीं लाई गई है। इस बारे में नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 16(7), दिनांक 19.03.2015 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया परन्तु नगर पंचायत ने इस बारे में अंकेक्षण समाप्त होने तक अंकेक्षण को कोई भी सूचना प्रस्तु नहीं की। यद्यपि अंकेक्षण द्वारा उक्त पैरा संख्याः 13 को समायोजित करके वर्तमान अकेक्षण प्रतिवेदन में समेकित कर दिया गया है तदापि सुझाव दिया जाता है कि अंकेक्षण के सुझावानुसार कार्रवाई अमल में लाते हुए मोबाईल टावरों से देय शुल्क की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तथा नगर पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावरों का सम्पूर्ण अभिलेख तैयार करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

24. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से पंचायत क्षेत्र में उपयोग बिजली पर देय कर की वसूली न करना :–

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 66(1)viii के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र की सीमा के भीतर उपयोग की गई बिजली के प्रत्येक युनिट पर एक पैसे की दर से बिजली कर की वसूली राज्य विद्युत बोर्ड से नहीं की गई थी। जिसके कारण नगर पंचायत को लगातार हानि हो रही है। इस बारे में नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 16(9), दिनांक 19.03.2015 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस बारे में अंकेक्षण समाप्त होने तक कोई भी सूचना अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई। अतः बिजली के उपयोग पर कर से प्राप्त आय की वसूली हेतु अतिशीघ्र कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

25. चिकित्सा प्रतिपूर्ती दावे के रूप में ₹525/– का अनियमित भुगतान :–

वाऊचर संख्याः 17, माह 03/13 के द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में ₹525/– का व्यय अक्षेप दवाईयों/परीक्षणों पर सरकार द्वारा जारी दर से अधिक किया है। अतः इस राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचपारी से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए :–

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	भुगतान की कुल राशि	दवाई/परीक्षण का नाम जिसका भुगतान किया गया है।		राशि
1.	श्री बलिन्द्र सिंह, लिपिक	483.00	Ruby		180.00
2.	श्रीमती मीरा तोमर, सामुदायिक कार्यकर्त्ता	1180.00	X-ray Drawn 120.00	Due 60.00	240.00
			Ultrasound Drawn 300.00	Due 60.00	240.00
				Total	**525.00**

26. प्रतिभूति रजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

नगर पंचायत राजगढ़ के आय व्यय की जाँच के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत को विभिन्न दुकानों के किराये पर देने के कारण किरायेदारों से प्राप्त प्रतिभूति राशि को किसी भी रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था तथा न ही नगर पंचायत द्वारा बिजली, पानी व टेलीफोन कनैक्शन प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विभागों में जमा प्रतिभूति से सम्बन्धित ही कोई अभिलेख/रजिस्टर लगाया गया था जिसके बिना नगर पंचायत द्वारा प्राप्त की जाने वाली व अदा की जाने वाली प्रतिभूति राशि की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों से वसूल व वापिस (Refund) की गई प्रतिभूति राशि से सम्बन्धित पंजिका नहीं लगाई गई है जिसकी अनुपस्थिति में प्रतिभूति राशि के बार–बार वापिस किए जाने की आशंका बनी रहती है। यह मामला गत अंकेक्षण के दौरान भी प्रकाश में लाया गया था तथा अंकेक्षण द्वारा प्रतिभूति रजिस्टर लगाने हेतु परामर्श दिया गया था परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस सुझाव पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः नगर पंचायत को पुनः परामर्श दिया जाता है कि प्रतिभूति रजिस्टर लगाकर सभी प्रतिभूतियों की उनमें प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित की जाए।

27. वाहन (टिप्पर) संख्याः एच0पी0–16–1251 की औसत को निर्धारित न करना :–

नगर पंचायत राजगढ़ के वाहन (टिप्पर) संख्याः एच0पी0–16–1251 की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि इस वाहन की नगर पंचायत द्वारा औसत निर्धारित नहीं की गई है जिसके कारण डीजल की सही खपत का आंकलन नहीं किया जा सका। इस बारे में नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 16(3), दिनांक 19.03.2015 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु नगर पंचायत ने अंकेक्षण समाप्त होने तक कोई भी सूचना अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की। अतः उक्त वाहन की औसत अतिशीघ्र निर्धारित की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

28. लघु आपत्ति विवरणिका :– इसे अलग से जारी नहीं किया गया।

29. निष्कर्ष :– लेखाओं व कैश बुक के रख–रखाव में अत्याधिक सुधार किए जाने के साथ–साथ वर्तमान अकेक्षण प्रतिवेदन व गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है।

हस्ता /–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः –V(28)-Fin(LAD)-Vol-2-4416-4417 दिनांकः 05.08.2015 शिमला–09
प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है :–

1) निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि पैरा 1(ख) में दर्शाई गई गम्भीर अनियमितताओं पर सचिव, नगर पंचायत राजगढ़ को उचित कार्रवाई करने हेतु यथोचित आदेश जारी करने की कृपा करें।

2) सचिव, नगर पंचायत राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों के सटिप्पण उत्तर इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के जारी होने के एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

हस्ता /–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

परिशिष्ट–''क''

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरो का विवरण

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04275 से 03/77

1.	पैरा 9(1)	अनिर्णीत
2.	पैरा 9(2)	अनिर्णीत
3.	पैरा 10(1)	अनिर्णीत
4.	पैरा 10(2)	अनिर्णीत
5.	पैरा 10(4)	अनिर्णीत
6.	पैरा 10(5)	अनिर्णीत
7.	पैरा 11	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04278 से 03/87

1.	पैरा 6	अनिर्णीत
2.	पैरा 7	अनिर्णीत
3.	पैरा 9(बी)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/87 से 11/91

उपरोक्त अवधि का अंकेक्षण प्रतिवेदन पुनः उपलब्ध नही करवाया गया तथा न ही इसे प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की गई जो कि उचित नहीं था। अतः परामर्श दिया जाता है कि इसको प्रति निदेशालय शहरी विकास से प्राप्त करके इस पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस कार्यालय को शीघ्र भेजा जाये।

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 12/91 से 03/96

1.	पैरा 4	अनिर्णीत	
2.	पैरा 5(i) से (iii)	अनिर्णीत	
3.	पैरा 6(क)	आंशिक निर्णीत	(स्र्व0 श्री प्रेम सागर व श्याम लाल के अलावा अन्य सभी दुकानदारों से वसूली की जानी शेष थी)

4.	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत	(₹1360/– की वसूली अभी शेष थी जिसे शीघ्र वसूल किया जाये)
5.	पैरा 6(ग)	आंशिक निर्णीत	(श्री हरबंस लाल से ₹100/– की वसूली शीघ्र करके जमा करवाई जाये)
6.	पैरा 6(ड़)	अनिर्णीत	(पूर्व स्थिति यथावत)
7.	पैरा 7(क)	अनिर्णीत	(₹1015/– की वसूली अभी भी की जानी शेष थी जिसके लिए उचित कार्रवाई की जाये)
8.	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत	(पूर्व स्थिति यथावत)
9.	पैरा 7(ग से छ)	अनिर्णीत	(पूर्व स्थिति यथावत)
10.	पैरा 8	अनिर्णीत	(सफाई शुल्क का मांग एवं संग्रह रजिस्टर तैयार नहीं किया गया जिसे शीघ्र तैयार करके पूर्ण किया जाये तथा बकाया राशि की वसूली तदानुसार की जाए)
11.	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत	(पैरे के निपटारे हेतु मामला सम्बन्धित बिजली बोर्ड से उठाया जाये)
12.	पैरा 9(ड़)	अनिर्णीत	(अनुचित व्यय की न तो अन्य स्त्रोतों से आपूर्ति की गई तथा न ही नियमित करने हेतु कार्रवाई की गई)
13.	पैरा 9(ज)	अनिर्णीत	(₹5/– की वसूली अभी भी शेष थी)
14.	पैरा 9(झ से ढ)	अनिर्णीत	(पूर्व स्थिति यथावत)
15.	पैरा 9(त)	अनिर्णीत	(₹308/– की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से शीघ्र की जाये)
16.	पैरा 9(द)	आंशिक निर्णीत	(क्रम संख्याः 1, 3, 5 व 6 में कार्यवाही अभी तक की जानी शेष है)
17.	पैरा 9(ध से प)	अनिर्णीत	
18.	पैरा 9 व (म)	अनिर्णीत	
19.	पैरा 10(क से च)	अनिर्णीत	
20.	पैरा 11(क से ड़)	अनिर्णीत	
21.	पैरा 12(1)	अनिर्णीत	

22.	पैरा 12(2)	अनिर्णीत	
23.	पैरा 12(vi)	अनिर्णीत	

(ड़) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/96 से 03/05

1.	पैरा 3	अनिर्णीत	
2.	पैरा 4(क)	अनिर्णीत	
3.	पैरा 4(ख)(i)	अनिर्णीत	
4.	पैरा 4(ख)(ii)	अनिर्णीत	
5.	पैरा 4(ख)(iii)	अनिर्णीत	
6.	पैरा 4(ख)(iv)	अनिर्णीत	
7.	पैरा 5(क)	अनिर्णीत	
8.	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत	
9.	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत	
10.	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत	
11.	पैरा 5(ड़)	अनिर्णीत	
12.	पैरा 5(च)	अनिर्णीत	
13.	पैरा 6(क)	आंशिक निर्णीत	(आंशिक रूप से निर्णीत दोषी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है)
14.	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत	
15.	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत	
16.	पैरा 6(घ)	अनिर्णीत	
17.	पैरा 6(ड़)	अनिर्णीत	
18.	पैरा 6(च)	अनिर्णीत	
19.	पैरा 6(छ)	अनिर्णीत	
20.	पैरा 6(ज)	अनिर्णीत	
21.	पैरा 6(झ)	अनिर्णीत	

22.	पैरा 7(क)	अनिर्णीत
23.	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत
24.	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत
25.	पैरा 7(घ)	अनिर्णीत
26.	पैरा 7(ड़)(i)	अनिर्णीत
27.	पैरा 7(ड़)(ii)	अनिर्णीत
28.	पैरा 7(च)	अनिर्णीत
29.	पैरा 7(छ)	अनिर्णीत
30.	पैरा 7(ज)	अनिर्णीत
31.	पैरा 7(झ)	अनिर्णीत
32.	पैरा 7(ण)	अनिर्णीत
33	पैरा 7(ट)	अनिर्णीत
34	पैरा 7(ठ)	अनिर्णीत
35	पैरा 7(ड)	अनिर्णीत
36	पैरा 7(ढ)	अनिर्णीत
37	पैरा 7(ण)	अनिर्णीत
38	पैरा 8(1) से (14)	अनिर्णीत
39	पैरा 8(क) (1–6)	अनिर्णीत
40	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत
41	पैरा 8(ग)	अनिर्णीत
42	पैरा 8(घ)	अनिर्णीत
43	पैरा 8(ड़)	अनिर्णीत
44	पैरा 8(च) (1–5)	अनिर्णीत
45	पैरा 8(छ)	अनिर्णीत
46	पैरा 8(ज)	अनिर्णीत

47	पैरा 8(झ)	अनिर्णीत
48	पैरा 8(ण)	अनिर्णीत
49	पैरा 8(ट) (1–5)	अनिर्णीत
50	पैरा 8(ठ) (1–4)	अनिर्णीत
51	पैरा 8(ड)	अनिर्णीत
52	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
53	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत
54	पैरा 9(ग)	अनिर्णीत
55	पैरा 9(घ)	अनिर्णीत
56	पैरा 9(ड़)	अनिर्णीत
57	पैरा 9(च)	अनिर्णीत
58	पैरा 9(छ)	अनिर्णीत
59	पैरा 9(ज)	अनिर्णीत
60	पैरा 9(झ)	अनिर्णीत
61	पैरा 9(ट) (1–2)	अनिर्णीत
62	पैरा 9(ठ)	अनिर्णीत
63	पैरा 9(ड)	अनिर्णीत
64	पैरा 9(ढ)	अनिर्णीत
65	पैरा 10	अनिर्णीत
66	पैरा 11	अनिर्णीत
67	पैरा 12	अनिर्णीत
68	पैरा 13	अनिर्णीत
69	पैरा 14(i)	अनिर्णीत
70	पैरा 14(ii)	अनिर्णीत
71	पैरा 14(iii)	अनिर्णीत

72	पैरा 14(iv)	अनिर्णीत	

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2008

1	पैरा 2(i)(क) से (ड़)	अनिर्णीत	
2	पैरा 3	अनिर्णीत	
3	पैरा 4(i)	निर्णीत	
4	पैरा 4(ii)	अनिर्णीत	
5	पैरा 4(iii)	अनिर्णीत	
6	पैरा 4(iv)	अनिर्णीत	
7	पैरा 4(v)	अनिर्णीत	
8	पैरा 4(vi)	अनिर्णीत	
9	पैरा 4(vii)	अनिर्णीत	
10	पैरा 4(viii)	अनिर्णीत	
11	पैरा 4(ix)	अनिर्णीत	
12	पैरा 4(x)	अनिर्णीत	
13	पैरा 4(xi)	अनिर्णीत	
14	पैरा 4(xii)	अनिर्णीत	
15	पैरा 4(xiii)	निर्णीत	
16	पैरा 4(xiv)	निर्णीत	
17	पैरा 4(xv)	आंशिक निर्णीत	(जी–8 संख्याः 8304, दिनांक 2.5.2008 द्वारा आंशिक रूप से निर्णीत ₹14,301/– की वसूली कर ली गई परन्तु सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्ध कोई कार्रवाई नही की गई)
18	पैरा 4(xvi)	अनिर्णीत	
19	पैरा 5	अनिर्णीत	
20	पैरा 5(i)	अनिर्णीत	

21	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत	
22	पैरा 5(iii)	अनिर्णीत	
23	पैरा 5(iv)	अनिर्णीत	
24	पैरा 5(v)	अनिर्णीत	
25	पैरा 5(vi)	अनिर्णीत	
26	पैरा 5(vii)	अनिर्णीत	
27	पैरा 6	अनिर्णीत	
28	पैरा 6(i)	अनिर्णीत	
29	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत	
30	पैरा 6(iii)	अनिर्णीत	
31	पैरा 6(iv)	अनिर्णीत	
32	पैरा 6(v)	अनिर्णीत	
33	पैरा 6(vi)	अनिर्णीत	
34	पैरा 6(vii)	अनिर्णीत	
35	पैरा 6(viii)	अनिर्णीत	
36	पैरा 6(ix)	अनिर्णीत	
37	पैरा 6(x)	अनिर्णीत	
38	पैरा 6(xi)	अनिर्णीत	
39	पैरा 6(xii)	अनिर्णीत	
40	पैरा 6(xiii)	अनिर्णीत	
41	पैरा 6(xiv)	अनिर्णीत	
42	पैरा 6(xv)	निर्णीत	
43	पैरा 6(xvi)	आंशिक रूप से निर्णीत	(₹45,934/— की वसूली कर ली गई परन्तु सम्बन्धित के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई)

44	पैरा 6(xvii)	अनिर्णीत
45	पैरा 7(i)	अनिर्णीत
46	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत
47	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
48	पैरा 7(iv)	अनिर्णीत
49	पैरा 7(v)	अनिर्णीत
50	पैरा 7(vi)	अनिर्णीत
51	पैरा 7(vii)	अनिर्णीत
52	पैरा 7(viii)	अनिर्णीत
53	पैरा 7(ix)	अनिर्णीत
54	पैरा 7(x)	अनिर्णीत
55	पैरा 7(xi)	अनिर्णीत
56	पैरा 7(xii)	अनिर्णीत
57	पैरा 7(xiii)	अनिर्णीत
58	पैरा 7(xiv)	अनिर्णीत
59	पैरा 7(xv)	अनिर्णीत
60	पैरा 7(xvi)	अनिर्णीत
61	पैरा 7(xvii)	अनिर्णीत
62	पैरा 7(xviii)	अनिर्णीत
63	पैरा 8(i)	अनिर्णीत
64	पैरा 9	अनिर्णीत
65	पैरा 10	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2011

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क प्राप्त पैरा समाप्त)
2	पैरा 4	अनिर्णीत	
3	पैरा 5	अनिर्णीत	
4	पैरा 6	अनिर्णीत	
5	पैरा 7	आंशिक रूप से निर्णीत	(₹14,829/– की वसूली कर ली गई परन्तु सम्बन्धित के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई)
6	पैरा 8	निर्णीत	(पैरे को पुनः अवधि 4/11 से 3/14 की रिपोर्ट में प्रारूपित किया गया है)
7	पैरा 9	अनिर्णीत	
8	पैरा 10	अनिर्णीत	
9	पैरा 11	निर्णीत	(संतोषजनक उत्तर पर पैरा समाप्त किया गया)
10	पैरा 12	अनिर्णीत	
11	पैरा 13	अनिर्णीत	
12	पैरा 14	अनिर्णीत	
13	पैरा 15	अनिर्णीत	
14	पैरा 16	अनिर्णीत	
15	पैरा 17	अनिर्णीत	
16	पैरा 18	अनिर्णीत	
17	पैरा 19	अनिर्णीत	
18	पैरा 20	अनिर्णीत	
19	पैरा 21	अनिर्णीत	
20	पैरा 22	निर्णीत	(आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पैरा समाप्त किया गया)
21	पैरा 23	अनिर्णीत	

22	पैरा 24	अनिर्णीत	
23	पैरा 25	अनिर्णीत	
24	पैरा 26	अनिर्णीत	
25	पैरा 27	अनिर्णीत	
26	पैरा 28	अनिर्णीत	
27	पैरा 29	अनिर्णीत	
28	पैरा 30	निर्णीत	(पैरे को पुनः अवधि 4/11 से 3/14 की रिपोर्ट मे प्रारूपित किया गया है)
29	पैरा 31	अनिर्णीत	
30	पैरा 32	अनिर्णीत	
31	पैरा 33	अनिर्णीत	
32	पैरा 34	अनिर्णीत	
33	पैरा 35	निर्णीत	(पैरे को पुनः अवधि 4/11 से 3/14 की रिपोर्ट में प्रारूपित किया गया है)
34	पैरा 36	अनिर्णीत	
35	पैरा 37	अनिर्णीत	

....